कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

पत्रांक 1024/14–10(FP/UP/Road/121197/2021)सहारनपुर, दिनांक 18.10.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर (मुजफ्फनगर वन प्रभाग) में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ (मेरठ वन प्रभाग) में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल–222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में। (FP/UP/Road/121197/2021)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/536 दिनांक–26.09.2022, क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 70वीं बैठक दिनांक 15.09.2022 का कार्यवृत्त पत्रांक II/1092/REC/2014 उ0प्र0(पार्ट–2)/521दिनांक 21.09.2022 एव प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 1291/14–1(FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 18.10.2022

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयीं पटरी कि0मी0 चेनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद मुजफ्फरनगर (सा0वा0 प्रभाग मुजफ्फरनगर) में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ (सा0वा0प्रभाग,मेरठ) में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल–222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध, गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ कें संदर्भित पत्र दिनांक–26.09.2022 द्वारा कतिपय अभिलेखों/सूचनाओं की वांछना की गयी, इस कम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ के पत्रांक 337/1–सी0 दिनांक–3.10.2022, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के पत्रांक 1266/13–1 दिनांक–11.10.2022, एवं प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र के पत्रांक 583/33 दिनांक 07.10.2022 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना उपलब्ध करायी गयी, जिसके कम में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक .18.10.2022 द्वारा निम्नवत सूचना/आख्या प्रेषित की गयी हैः–

S.No.	Observation raised by MoEFF&CC	Compliances
1	2	3
1	In lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted 223.00 ha. non-forest land has been provided out of this, only 41.36 ha NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus, the non forest land needs to be rechecked and non-forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provided. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the area in degraded forest land needs to be proposed.	विषयांकित 222.98 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष ललितपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 41.22 हे0 गैर वन भूमि एवं 86.84 हे0 अवनत वन भूमि, तथा सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र के अन्तर्गत 98.00हे0 (सकल क्षे0फ0 125.10हे0) अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष, मिर्जापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 182.00 हे0 (सकल क्षे0फ0 190.50 हे0) अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में ही चिन्हित की जा चुकी है, जिससे सम्बन्धित समस्त आवश्यक अभिलेख पूर्व में प्रेषित किये गये थे, जिन्हें भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 26.09.2022 के अनुपालन में उक्त (184.84 हे0 अवनत वन भूमि एवं 41.22 हे0 गैर वनभूमि से सम्बन्धित) क्षतिपूरक वृक्षारोपण से राम्बन्धित अभिलेखों के साथ पुनः संलग्न किया गया है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक/अपेक्षित गैर वन भूमि एवं वन भूमि की गणना तालिका, विषय सूची सहित संलग्न है।
2	Since huge tree fellings is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road or along adjoining some other road).	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ के पत्र दिनांक 3.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन समस्त मार्गो का RoW, वृक्षारोपण से संतृप्त हो चुका है। मेरठ मण्डल का क्षेत्र NCR घोषित होने के कारण मण्डल के अधिकतर State Highway को National Highway में परिवर्तन कर NHAI, भारत

Scanned with CamScanner

		सरकार को हस्तान्तरण विगत 20 वर्षो में हो चुका है, एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गो के किनारे वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। विषयगत नहर पटरी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात लगभग 05 मी0 चौड़ाई में मार्ग के तटबंध के ढाल की भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध रहेगी। उक्त क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण के उपरान्त ढाल अत्याधिक होने के कारण प्रस्तावित मार्ग के किनारे ढाल पर वृक्षारोपण किया जाना उपयुक्त नहीं है। (अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ एवं प्रभागीय, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर की आख्या पत्रावली में संलग्न है)

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26.09.2022 द्वारा लगाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या उक्तानुसार 3–3 प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 1024/14–10 (FP/UP/Road/121197/2021)दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद,मिर्जापुर एवं ललितपुर।
3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर

Scanned with CamScanner